an>

Title: Regarding recovery of educational loan from the father of the B.Tech student Vivek Sangwan after his death.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। व्यवस्था की संवेदनहीनता किस प्रकार एक गरीब किसान को बर्बाद करने पर तुली है, मैं ऐसा एक प्रकरण आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मेरठ के निवासी रघुराज सिंह के पुत्र विवेक सांगवान ने बीटेक की शिक्षा हेतु पंजाब नेशनल बैंक की जानी शाखा से वर्ष 2009 में 3,13,800 रुपए का कर्ज लिया था। बीटेक की अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के बाद ही विवेक सांगवान के कैंसर रोगी होने का पता चला। अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए रघुराज सिंह ने निजी स्तर पर कर्ज लेकर तथा जमीन बेचकर उसका इलाज कराया, परन्तु विवेक को बचाया नहीं जा सका। उसका 1 नवंबर, 2013 को देहान्त हो गया। रघुराज सिंह को उनके पुत्र विवेक की मृत्यु के पश्चात् बैंक द्वारा उन्हें सहऋणी मानते हुए कर्ज की वसूली हेतु नोटिस दिए जा रहे हैं तथा ऋण भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है।

अध्यक्ष जी, शिक्षा ऋण हेतु किसी भी अन्य व्यक्ति के गारंटर होने अथवा किसी अन्य गारंटी की अनिवार्यता नहीं है। ऋण की आवश्यकता के दबाव में प्रायः सभी छात्र तथा अभिभावक बैंक की शर्तों को विस्तार से पढ़े बिना बैंक के प्रबंध तंत्र की सलाह पर ऋण के अनुबंधनीय प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मेरा अपना अनुभव है। मैंने होम लोन लिया। 40 या 45 जगह पर मैंने हस्ताक्षर किए। मैं खुद उनको नहीं पढ़ सकता था। बैंक के सामान्यतः प्रोफार्मा इस प्रकार के होते हैं। श्री रघुराज सिंह ने भी निश्चित रूप से ऐसा ही किया है।

अध्यक्ष जी, अपने पुत्र को पहले से ही गंवा चुका यह गरीब किसान ऋण का भुगतान किस प्रकार करे, अपनी बची हुई जमीन बेचे, जेल में जाए या फिर निराश होकर आत्महत्या करे। इस संबंध में मैंने मण्डल प्रमुख से बातचीत की। मैंने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा। वित्त मंत्रालय से मण्डल प्रमुख को पत्र गया। उसने कहा कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वह ओटीएस के अंतर्गत हमसे कोई सैटलमेंट कर ले। ओटीएस के अंतर्गत सैटलमेंट करने लायक पैसा भी उस गरीब किसान के पास नहीं है। अब उसको 6 नवम्बर को नोटिस दिया गया है कि या तो आप हमारा भुगतान करें, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

महोदया, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामलों में निर्देश दिए जाने चाहिए, सहऋणी बनाकर उसके पिता को बर्बाद करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ऐसे कितने मामले इस देश के अंदर होंगे? इस प्रकार से जिन बच्चों की मृत्यु हो गई, भगवान न करे किसी अन्य बच्चे की मृत्यु हो, लेकिन मृत्यु यदि होती है तो उसके परिवार से ऋण वसूली नहीं की जानी चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती वीणा देवी - उपस्थित नहीं।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल।